कृषि ऋणों के मामले में बैंकों को ऐसे ब्याज का हिसाब छमाही के आधार पर अर्थात् ऋण की वापसी अदायगी/ऋण की किस्त के समय से लगाये जाने का परामर्श दिया गया है। ब्याज की देय राशियां चालू देय राशियां होती हैं और उन्हें ऋणकर्ताओं को तभी चुकाना होता है जब वे देय हो जाती हैं। उन मामलों में जब चालू देय राशियां नहीं चुकायी जाती तो वे ऋणकर्ताओं के नाम बकाया राशियों का रूप ले लेती हैं जिन पर बैंकों को बाद की अवधियों का हिसाब लगाते समय ब्याज लेने का हक होता है। जमा राशियों के मामले में भी बैंक ब्याज आंकने की इसी प्रणाली का अनुसरण करते हैं।

ऋणों की वापसी अदायगी का कार्यक्रम तय करते समय बैंक इस प्रकार वित्त पोषित धंधों की आय अर्जित करने की क्षमता का भी ध्यान रखते हैं। चूंकि प्रत्येक किस्त के दो भाग होते हैं अर्थात् एक भाग मूलधन का और दूसरा भाग चालू देय ब्याज का, इसलिए ब्याज का हिसाब लगाने की प्रणाली से यह अपेक्षा की जाती है कि उसका उत्पादकता तथा ऋणकर्ताओं के ऋण चुकाने की क्षमता का कोई बुरा प्रभाव न पड़े।

सरकार ने वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज का हिसाब लगाने की प्रणाली का मूल्यांकन करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया है लेकिन जिन मामलों में खास-खास ऋणकर्ता बैंकों के सम्मुख ऋण वापसी के कार्यक्रम के बारे में अपनी कठिनाइयां रखते हैं उनमें बैंक ऐसे अभ्यावेदनों पर जल्दी विचार करते हैं और प्रत्येक मामले के गुणदोषों के आधार पर ऋण चुकाने के कार्यक्रम को फिर से निर्धारित करते हैं क्षमता के अनुरूप ढाला जा सके।

Streamling of functioning and set up of L. I. C.

402. PROF. NARAIN CHAND PARASHAR : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government have taken any steps for streamlining the functioning and set-up of Life Insurance Corporation of India in the year including the current financial year ;

(b) if so, the nature of the steps taken in this regard ; and

(c) if not, whether any such steps are proposed to be taken in near future ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHANA POOJARY) : (a) to (c) The following are among the steps taken in the past three years to streamline the functioning and set-up of the Life Insurance Corporation of India to secure greater operational efficiency, in terms of growth of business and service to the policy holders :—

(1) The branch infraustructure has been progressively strengthened, with greater emphasis on opening of branches in mofussil areas. A number of districts, which did not earlier have any branch of the LIC, have been covered by new branches.

(2) Efforts are being made to recruit increasing number of agents under the Rural Careier Agents Scheme for improved insurance services in rural areas.

(3) A major programme of reorganisation of the divisional offices and branch offices has been worked out, to complete the process of decentralisation of policyholder' servicing from the divisional offices to the branch offices.

accountin units. The programmes is in the course of implementation.

राजस्थान में पर्यटन के विकास के लिये कार्यक्रम

*403. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान राज्य में पर्यटन के विकास के बारे में गत तीन वर्षों में अब तक की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) भविष्य में पर्यटन के विकास के लिये क्या कार्यक्रम आरम्भ करने का विचार है; और

(ग) बाडमेर जिले में कैराडू मन्दिर को, जो कि प्राचीन संस्कृति कला एवं वास्तुशिल्प की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है, पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित किये जाने वाले स्थानों में सम्मिलित करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या नीति है और उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) पर्यटन का विकास एक सतत प्रक्रिया है। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में राजस्थान में निम्नलिखित स्कीमें शुरू की गई :—

(1) जयपुर में पर्यटक स्वागत केन्द्र का निर्माण करने के लिए 1.65 लाख रुपये ऐड राशि के रूप में।

(2) रणथम्बोर में वनगृह के विस्तार/

(3) मेवाड़ कम्पलैक्स की मास्टर प्लानें तैयार करने के लिए 3.15 लाख रुपये।

(4) गदीसर टैंक, जैसलमेर के विकास के लिए 3.40 लाख रुपये।

(5) राजस्थान की चुनी हुई झीलों पर नौकाओं के लिए 4.86 लाख रुपये।

(6) जैसलमेर में पर्यटक बंगले का विस्तार करने के लिए 4.00 लाख रुपये।

(7) महारणगढ़ किला, जोधपुर पर प्रकाश-पुंज व्यवस्था जिसके लिए 1983-84 के दौरान 5.29 लाख रुपये रिलीज किए गए हैं।

(8) 1981-82 और 1983-84 के दौरान मेले और त्योहारों के लिए 3.50 लाख रुपये रिलीज किए गए।

भारत पर्यटन विकास निगम ने जयपुर, उदयपुर और भरतपुर में अपने होटलों/परिवहनों यूनिटों के विस्तार/नवीकरण पर 47.09 लाख रुपये खर्च किए।

निर्धारित यात्रा परिपथों पर पड़ने वाले केन्द्रों के लिए कुछ अतिरिक्त स्कीमें भी अभिनिर्धारित की गई हैं और उनमें से कुछ को 1984-85 में और कुछ को सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारम्भ किया जाएगा।

आधारिक संरचना संबंधी सुविधाओं के विकास हेतु राज्य के लिए निर्धारित तीन यात्रा परिपथों में से किसी में भी बाड़मेर जिले को शामिल नहीं किया गया